राजस्थान कर बाड, अजमर

निगरानी आबकारी संख्या .....473/2014 .....जिला.....बाड़मेर.....

उनवान – ~~कमल~~ कमल सिंह बनाम महेन्द्र सिंह व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.09.2017	**खण्डपीठ** **श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष** **श्री राजीव चौधरी, सदस्य** प्रार्थी निगरानीकर्ता के अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। अप्रार्थी राजस्व की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री आर.के. अजमेरा उपस्थित। राजस्व के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक का यह कथन रहा है कि वर्तमान निगरानी वर्ष 2014–15 के अनुज्ञा से सम्बन्धित है, इस कारण यह निगरानी निष्प्रभावी (**Ineffectual**) हो गई है। प्रार्थी निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक द्वारा इसका खण्डन नहीं किया गया। उभयपक्ष को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी आबकारी आयुक्त राजस्थान उदयपुर के प्रकरण संख्या 3/2014 निर्णय दिनांक 25.03.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। आबकारी आयुक्त द्वारा वर्ष 2014–15 में डोडा पोस्त के संयुक्त समूह हेतु अनुज्ञ–पत्र बाबत् आमंत्रित किये गये थे। उक्त अवधि के लिये निकाली गई लॉटरी में महेन्द्र सिंह पुत्र बन्ना सिंह को सफल आवेदक के रुप में चुना गया तथा प्रार्थी निगरानीकर्ता कमल सिंह का नाम आरक्षित सूची में प्रथम स्थान पर था। जिला आबकारी अधिकारी, बाडमेर के आदेश दिनांक 28.02.2014 द्वारा महेन्द्र सिंह को आवेदन के लिये अयोग्य मानते हुये उसके पक्ष में जारी हुई स्वीकृति को निरस्त कर दिया एवं प्रार्थी निगरानी कर्ता कमल सिंह के पक्ष में दिनांक 28.02.2014 को ही अस्थाई स्वीकृति जारी की गई। महेन्द्र सिंह द्वारा जिला आबकारी अधिकारी के आदेश दिनांक 28.02.2014 के विरुद्ध आबकारी आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। आबकारी आयुक्त के आदेश दिनांक 25.03.2014 द्वारा महेन्द्र सिंह की अपील को स्वीकार किया गया एवं जिला आबकारी अधिकारी के आदेश दिनांक 28.02.2014 को अपास्त किया गया। प्रार्थी निगरानीकर्ता द्वारा आदेश दिनांक 25.03.2014 से व्यथित होकर वर्तमान निगरानी प्रस्तुत की गई है। वर्तमान प्रकरण में विवाद, वर्ष 2014–15 के डोडा–पोस्त के संयुक्त (उपभोग क्षेत्र में थोक एवं खुदरा दुकान एवं सम्बद्ध उत्पादन क्षेत्र में थोक) समूह के अनुज्ञा से सम्बन्धित है। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा धारा **74A NDPS Act, 1985** के अर्न्तगत दिनांक 07.03.2012 को जारी आदेश के सुसंगत भाग का उल्लेख किया	

7/9/17

उनवान – करण सिंह बनाम महेन्द्र सिंह व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.09.2017	जाना समीचीन है, जो कि निम्न प्रकार है :– "The quantity of popy straw to be provided to the addicts should be progressively reduced so as to ensure that after 31-03-2015 there are no addicts requiring poppy straw. After this, no poppy straw will be allowed to be used for de-addiction and it shall only be ploughed back into the field under the supervision of the Nodal Officer who shall issue a certificate to the Narcotics Commissioner that the entire quantity of poppy straw has been ploughed back under his/her supervision" यह उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा धारा 74A NDPS Act, 1985 के अर्न्तगत दिनांक 21.03.2015 से आगे अवधि बढ़ाने दिनांक 19.02.2015 को एक आदेश जारी कर यह अवधि दिनांक 31.10.2016 तक बढा दी गई। यहां दिनांक 19.02.2015 के आदेश का सुसंगत भाग का उल्लेख किया जाना समीचीन है, जो कि निम्न प्रकार है :– "The matter has been examined in this Ministry and it has been decided to extend the decline of 31-03-2015 mentioned in the order dated 07-03-2012 be one year beyond 31-03-2015 i.e. till 31-03-2016 for all the three poppy cultivating states. It is further stipulated that all efforts should be made by the State Authorities for complete elimination of the addicts during this period as no further extension of the deadline will be given." इस प्रकार भारत सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 19.02.2015 के अनुसार दिनांक 31.03.2016 के पश्चात के लिये डोडा पोस्त के थोक व खुदरा दुकान की अनुज्ञा जारी नहीं की जा सकती। वर्तमान प्रकरण में विवाद, वर्ष 2014–15 के डोडा–पोस्त के संयुक्त (उपभोग क्षेत्र में थोक एवं खुदरा दुकान एवं सम्बद्ध उत्पादन क्षेत्र में थोक) समूह के अनुज्ञा से सम्बन्धित है। उक्त अवधि व्यतीत हो चुकी है तथा दिनांक 31.03.2016 तक की अवधि भी व्यतीत हो चुकी है। अतः यह निगरानी निष्प्रभावी (**Ineffectual**) हो गई है। उपरोक्त विवेचनानुसार यह निगरानी निष्प्रभावी होने से खारिज की जाती है। आदेश सुनाया गया। 07/09/17 सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर अध्यक्ष राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	